

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्रीमती कल्पना अग्रवाल 2. वर्तमान धारित पद : अनुभाग अधिकारी  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
3. वर्तमान वेतन : 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1- भोपाल।	गृह- फ्लेट जूनियर एच.आई.जी. सहयाद्रि परिसर, भोपाल।	फ्लेट	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम	हाउसिंग बोर्ड से वर्ष 2002 में मकान कय किया गया। कय करने हेतु बैंक से ऋण लेकर तथा जी0पी0एफ0 से पार्ट फायनल आहरित कर कय किया गया।	48,000/-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर, फ्लेट डुप्लेक्स कय किया गया।
2- भोपाल	डुप्लेक्स	डुप्लेक्स	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम	बीडीए से कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्रीमती कल्पना अग्रवाल  
पद : अनुभाग अधिकारी

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती सविता वर्मा | 2. वर्तमान धारित पद : अनुभाग अधिकारी      |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 66,500/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1- भोपाल	मकान नं0-207 गली नं0-6, शारदा नगर, नारियल खेड़ा भोपाल	-	लगभग रुपये - 25,00,000/-	स्वयं के नाम पर ।	श्री रवि साहू से वर्ष 1989 में प्लाट कय कर मकान निर्मित किया गया। (रु0-5/-के स्टाम्प पर प्लाट कय किया गया है) (कालोनी अवैध है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है)	-	अवैध कॉलोनी होने से पूरी कॉलोनी के विरुद्ध न्यायालीन प्रकरण चल रहा है।
2- भोपाल	-	3000 वर्गफिट का प्लाट	अनुमानित 12,00,000/- रुपये	स्वयं के नाम पर।	श्री पूरनलाल कृषक से नीलकंठ सोसायटी के माध्यम से वर्ष 1996 में कय किया गया, जिसका आधिपत्य प्राप्त नहीं है (विवादित होने से)। स्वयं की बचत से कय किया गया।	-	कार्यालय की अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्रीमती सविता वर्मा

पद : अनुभाग अधिकारी

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री एम0एल0टेकचंदानी  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-एक
3. वर्तमान वेतन : 77700/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1- नवयुवक सभा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित शहर संत हिरदाराम नगर तहसील हुजूर 277 वन ट्री हिल्स बैरागढ़, भोपाल।	उक्त प्लॉट पर भवन निर्माण भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण किया गया।	27X45 1215 वर्ग फीट	रुपये 30.00 लाख एवं स्टॉप डि्यूटी एवं अन्य प्रलेख /-	स्वयं के नाम	श्रीमती सुशीला नेभवानी पत्नि श्री मनोहर कुमार नेभवानी निवासी संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल से पैतृक संपत्ति के विक्रय के पश्चात क्रय किया	-	कार्यालय पत्र क्र 1654/स्था/11 दिनांक 03.11.11 द्वारा प्लॉट क्रय उपरांत उस पर मकान निर्माण की अनुमति प्राप्त की तल एवं प्रथम तल का निर्माण करवाया।
2- व्यावसायिक प्लॉट क्रमांक 237 सेक्टर बी कुसुम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित श्री रामेश्वर बाग मुगलिया तह हुजूर भोपाल		25X60 1500 वर्ग फीट	अनुमानित 29.50 लाख बाजार मूल्य	स्वयं के नाम	प्लॉट क्रमांक 293, 1501 वर्गफीट पंचवटी कॉलोनी भोपाल के रुपये 35.00 लाख में विक्रय पश्चात मिली रकत से	-	कार्यालय पत्र क्र 1676/स्था/ दिनांक 13.11.13 द्वारा प्लॉट विक्रय उपरांत क्रय की सूचना व अनुमति।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्री एम0एल0टेकचंदानी  
पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती उमा देशभूतार | 2. वर्तमान धारित पद : निज सचिव            |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 77,700/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	गृह एम0आई0जी0-बी0 100, सी-सेक्टर, विद्यानगर, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय के पास भोपाल।	-	रुपये, 70,00,000/-	पति श्री सुरेश देशभूतार के नाम।	भोपाल विकास प्राधिकरण से वर्ष 2000 में कय किया गया।	-	-
भोपाल	भूखंड 1500(30x50) वर्गफीट विनय गृह निर्माण संस्था होशंगाबाद रोड भोपाल	-	30,00,000/-	पति श्री सुरेश देशभूतार के नाम।	विनय गृह निर्माण संस्था होशंगाबाद रोड भोपाल	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : श्रीमती उमा देशभूतार

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : निज सचिव

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री फत्तेलाल पन्डे | 2. वर्तमान धारित पद : निज सहायक           |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 51,700/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
उज्जैन	मकान नं0-71/ए, साईज- 11X58.5 कुल 638 वर्गफुट, नानाखेड़ा, इंदौर रोड़, उज्जैन।	-	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर	दिनांक 11.09.2002 को रुपये 3.20 लाख में बैंक से ऋण लेकर कय किया गया।	-	विभाग से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।
पं दीनदयाल पुरम कॉलोनी में जिला बालाघाट का पैतृक मकान	576 वर्गफीट का प्लाट	-	ज्ञात नहीं	पिता द्वारा अर्जित	-	-	बंटवारा नहीं हुआ है। दिनांक 31.12.13 की स्थिति में।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : फत्तेलाल पन्डे

पद : निज सहायक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री रत्नाकर मेंडे | 2. वर्तमान धारित पद : ऑडिटर               |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 38,600/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-बंजारी, कोलार तह0 हुजूर जिला भोपाल	भवन भूखण्ड कं0-34, आर्शीवाद कालोनी, कोलार रोड़, 1500 वर्गफीट पर मकान निर्माण वर्ष 2001में।	-	लगभग रुपये 80.00 लाख। (बाजार मूल्य ज्ञात नहीं)	पत्नि श्रीमती रमा मेंडे के नाम।	भूखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2000 द्वारा श्री एस.पी.पटेरिया, मकान नं0-102, सी इन्द्रपुरी भोपाल से आर्शीवाद गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल का कय किया गया।	-	कार्यालय की अनुमति प्राप्त कर कय किया गया। तथा वर्ष 2001 में मकान निर्माण कराया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : रत्नाकर मेंडे

पद : ऑडिटर

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : सै0 अन्सार हुसैन नकवी 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 59,100/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	मकान नं0-12, गली नं0-1, नूरमहल रोड़, भोपाल। 600 वर्गफीट (कच्चा) लोहे की पुरानी चादरपोश ।	-	लगभग 10,00,000 लाख	स्वयं के नाम पर।	सामान्य भविष्य निधि से एवं गैस क्लेम से प्राप्त राशि से कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : सै0 अन्सार हुसैन नकवी

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती नीता बाथम | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 15,500/-          | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
ग्राम-पलासी करौंद तहसील हुजूर जिला भोपाल	-	प्लाट 30X60	लगभग रुपये - 2,00000/-	स्वयं के नाम पर है।	वर्ष 1993 में 3000/- मासिक किश्तों पर क़य किया गया। मूल्य 54,000/- मात्र	-	-		
नूर अपार्टमेंट फतेहगढ़ भोपाल	फ्लेट	600 वर्ग फीट	12 लाख	स्वयं के नाम पर है।	जुलाई 2013 सा.भा.नि. एवं व्यक्तिगत ऋण एवं वहन से आर्थिक मदद। सोसायटी से लोन लेकर क़य किये गये है।	-	-		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्रीमती नीता बाथम

पद : सहायक श्रेणी-एक



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री प्रशांत कुमार भट्टाचार्य  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक
3. वर्तमान वेतन : 51,000/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1- मंडीदीप, जिला रायसेन	फ्लेट जूनियर एमआईजी-200/3 इंदिरा नगर, मंडीदीप।	-	रूपये 15,00,000/-	स्वयं के नाम	शासन से गृह निर्माण अग्रिम लेकर भोपाल विकास प्राधिकरण से वर्ष 1995 में कय किया गया।	12,000/-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।
2- भोपाल	प्लॉट नं0-87, उषा प्रभा कालोनी, बरखेड़ा पर मकान निर्माण	-	रूपये- 18,71,000/-	स्वयं एवं पत्नि श्रीमती प्रीति भट्टाचार्य के नाम	बैंक से ऋण लेकर पैत्रक मकान बेचकर साख्र समिति से ऋण लेकर एवं स्वयं की बचत से उषा प्रभार गृह निर्माण समिति, भोपाल से वर्ष 2003 में कय किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर प्लॉट कय किया गया एवं अनुमति प्राप्त कर मकान ऋण लेकर निर्माण किया गया है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्री प्रशांत भट्टाचार्य  
पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री बी0एल0रायकवार | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 48,100/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल, सुदामा नगर।	शेड क्रमांक-51, सुदामा नगर, भोपाल।	15X 36 वर्ग फीट	रुपये 10.00 लाख	स्वयं के नाम पर।	श्री सोमचंद सौधिया, यूनियन बैंक मालवीय नगर भोपाल से वर्ष 2002 में बैंक से ऋण लेकर तथा निजि बचत से कय किया गया।	10,000/-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।
ग्राम भैसाखेडी बैरागढ़ भोपाल	प्लॉट क्रमांक 34 साईं नगर बैरागढ़	30x 50	रुपये 5.00 लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं की बचत गैस राहत की राशि व बैंक ऋण	निरंक	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्री बी0एल0रायकवार  
पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री वासुदेव खुशलानी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 54,056/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : श्री वासुदेव खुशलानी

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : विष्णु नारायण बाथम | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 51,000/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
1- ग्राम-बरखेड़ी हज्जाम, भोपाल	-	कृषि भूमि 7 एकड़ से 1/4 हिस्सा	रूपये - 2,80,000/-	संयुक्त परिवार की भूमि जिसमें चार भाईयों का संयुक्त नाम अंकित है।	-पिता श्री हरिनारायण बाथम की सेवानिवृत्ति उपरांत प्राप्त राशि से, श्री नारायण सिंह मीणा से क्रय की गई।	-	-		
2- ग्राम लाउखेड़ी, बैरागढ़, भोपाल।	मकान - भूखंड 1000 वर्गफिट पर मकान निर्माण कराया गया।	-	25,00,000/-	स्वयं एवं पत्नि श्रीमती पद्मा बाथम के संयुक्त नाम पर क्रय।	-शासन से अनुमति प्राप्त कर, बैंक से ऋण प्राप्त एवं जी0पी0एफ0 एवं स्वयं/पत्नि की बचत राशि से क्रय कर बनवाया। (न्यू वल्लभ गृह निर्माण सोसायटी)।	-	-		
3- ग्राम रसूलिया पठार भोपाल भूखंड क 41 हं नं 35	भूखण्ड कं0-45, 30 X 50, 1500 वर्गफिट।	-	8,00,000/-	स्वयं के एवं पत्नि के नाम से क्रय किया दिनांक 16.05.11	शासन की अनुमति प्राप्त कर ग्राम नीलबड भोपाल का भूखंड चार लाख में विक्रय कर फिनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से क्रय किया	-	-		
4- ग्राम रेसलपुर ह नं 15 तहसील गौडरगाम रायसेन भोपाल	18.23X 900 1766.04 वर्गमीटर	-	9,00,000/-	स्वयं के नाम पर क्रय किया गया दिनांक 13.3.14	शासन से अनुमति प्राप्त कर जी.पी.एफ. एवं पत्नि की बचत से क्रय किया गया। फिनिक्स इन्फ्रा इस्टेट इंटरनेशनल लि.	-	-		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

नाम : विष्णु नारायण बाथम

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती रजनी दिनकर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 48,100/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
द्वारका नगर, भोपाल	30X40 के भूखण्ड में से 15X20 पर मकान निर्मित है। मकान नं0 1473, गली नं0-7, द्वारका नगर, कोच फैक्ट्री रोड़, भोपाल।	-	लगभग रुपये - 9,00,000/-	स्वयं के नाम पर।	दिनांक 16.02.1993 को श्री लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री भुमर सिंह, छोला रोड़ भोपाल से रुपये 50,000/- में स्वयं की बचत से क्रय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्रीमती रजनी दिनकर

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती रजनी माहूरकर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 51075/-              | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1- भोपाल	गृह एल0आई0जी0-109, सरस्वती नगर, जवाहर चौक, भोपाल।	-	लगभग रुपये - 11.00 लाख	स्वयं के नाम पर है।	श्रीमती पुष्पा मसारकर, भरत नगर भोपाल से वर्ष 2001 में जी0पी0एफ0 से पार्ट फायनल, सहकारी साख्र समिति से ऋण लेकर तथा स्वयं की बचत से कय किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया है।
2- भोपाल	ग्राम नीलबड	प्लॉट 1050 वर्ग फीट	1,95,000/-	स्वयं के नाम पर है।	जी.पी.एफ. पार्ट फायनल से 31.3.11 खरीदा गया है।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्रीमती रजनी माहूरकर

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री मदन गोपाल कोरी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक प्रथम         |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 52,500/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
सागर	पैतृक मकान 1200 वर्ग फीट	कृषि भूमि पैतृक 10 एकड़	रुपये 36.00 लाख	पैतृक मकान	-	10,000/-	प्राप्त जमीन में चारो भाईओं का हिस्सा है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : मदन गोपाल कोरी

पद : सहायक प्रथम



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री पी.टी.लच्छवानी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                     | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	फ्लेट नं 204 अनमोल कन्स्ट्रक्शन बागसेवनिया कटारा हिल्स भोपाल	-	रुपये 20,00,000/-	स्वयं के नाम	खरीदा गया है	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : श्री पी0टी0लच्छवानी

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक ग्रेड-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री आर0एस0म | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन   | : .19,100/-    | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.					
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : आर0एस0साहू

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री रामप्रसाद त्रिपाठी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-प्रथम  |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 17,760/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2017 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम मैदानी पटवारी ह नं 25 कराहिया तह. हुजूर रीवा म0प्र0	-	प्लाट 1155 वर्ग फीट 107.342 वर्ग मीटर	4,50,000/-	स्वयं के नाम पर	श्री शैलेन्द्र सिंह आत्मज श्री इन्द्रजीत सिंह नि. वार्ड नं 5 डेकहा रीवा से दिनांक 26.8.2013 को भूमि खसरा क. 137/1/1 से 1155 वर्ग फिट कय किया गया। साथ ही अनुमति प्राप्त कर प्लाट कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : रामप्रसाद त्रिपाठी  
पद : सहायक श्रेणी-प्रथम

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्रीमती मीनाक्षी अय्यर 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-प्रथम  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 49,500/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	गृह (फ्लेट) एच0आई0जी0-6, पलकमति पार्क, नेहरू नगर भोपाल।	-	5.30 लाख (वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं)	पति श्री के. हरिहरण के नाम पर फ्लेट	म0प्र0हाउसिंग बोर्ड से वर्ष 2000 में मूल्य 5.30 लाख रुपये में कय किया गया।	-	आवेदिका के पति श्री के0 हरिहरण भारतीय स्टेट बैंक में पदस्थ हैं, उनके द्वारा बैंक से अनुमति लेकर गृह निर्माण मंडल से वर्ष 2000 में रु0 5.30 लाख में स्वयं के नाम पर कय किया गया।
भोपाल	गृह फ्लेट आकृति ग्रौन्स एच.आई.जी.	-	15,00,000/- मात्र	संयुक्त नाम पर	वर्ष 2013 मे नवंबर में पजेशन प्राप्त किया।		आवेदिका के पति द्वारा बैंक से ऋण एवं अनुमति प्राप्त कर लिया गया।
भोपाल	गृह फ्लेट कटारा हिल्स भोपाल	-	15,25,000/- मात्र	स्वयं के नाम पर	एम. आई. जी.		कार्यालय से पत्र दिनांक 25.9.13 द्वारा अनुमति प्राप्त कर तथा बैंक से ऋण प्राप्त कर प्राप्त किया पजेशन प्राप्त हो गया है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्रीमती मीनाक्षी अय्यर

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती तसनीम शकील ख़ॉन | 2. वर्तमान धारित पद : निज सहायक           |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 66,500/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
गली नं0-8 बाग उमराव दूल्हा वार्ड नं 40 भोपाल	गृह 20 X 34.5 पर बना एक दो मंजिला निर्मित मकान कं0-डी.एस.-83, बाग उमराव दूल्हा, भोपाल	-	कय मूल्य रुपये 5,75,000/-	स्वयं के नाम पर।	श्री अब्दुल हाफिज अंसारी, पिता अब्दुल हफीज अंसारी, निवासी बाग उमराव दूल्हा, भोपाल से दिनांक 31.03.2008 में 20X34.5 पर निर्मित दो मंजिला मकान कंमाक डी.एस.-83, गली नं0 8, बाग उमराव दूल्हा भोपाल कय किया गया।	-	उक्त मकान कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया है।
मोहल्ला टोरी असगल अली वाली गली वार्ड क. 20 (पूर्व में वार्ड क. 18) सिरौंज जिला विदिशा	कुल 1157-41 वर्गफीट जिसमें से 445 वर्गफिट पर बना कच्चा मकान मोहल्ला जो विदिशा में स्थित है।	-	बाजार मूल्य लगभग 5,96,000/-	पूर्व में मेरी माताजी श्रीमती असमा बेगम सिददकी के नाम पर था उनके द्वारा मुझे उपहार स्वरुप दिया गया स्वयं के नाम पर रजिस्ट्री 03.12.2013 को कराई गई ।	पूर्व में मेरे माता-पिता के नाम पर था जिसे उन्होने मुझे उपहार स्वरुप दिया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 03.12.2013 को सिरौंज विदिशा में कराई।	-	मकान अनुमति प्राप्त कर कय किया गया है।
वार्ड कमांक 69 में ग्राम निशातपुरा एकता नगर दानिश कॉलोनी तहसील हुज़ूर जिला भोपाल	प्लॉट क. एस.एल. 29 पर 12 X 33 796 अर्थात 360 X 1000 3600 वर्गमीटर एवं प्लॉट कः 30 पर 12 X 33 796 वर्ग	-	29,00,000/-	स्वयं के नाम पर दिनांक 19.6.17 में कय किया गया अनुमति छायाप्रति संलग्न है।	श्रीमती ईस्मत खॉन पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ खॉन निवासी मकान नंबर एस.4 नवाब कलाम अपेक्स सिटी सेंटर, सुल्तानिया रोड, भोपाल से एक	-	श्रीमती ईस्मत खॉन एक निज महिला है, मेरी अथवा मेरे पति की श्रीमती ईस्मत खॉन से कोई पारिवारिक

	पर एक तीन मंजिला निर्मित भवन है।				तीन मंजिला नवनिर्मित मकान जो कि प्लॉट पर बना हुआ है।		रिश्तेदारी नहीं है, न ही कोई पदीय संव्यवहार है।
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	---

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : श्रीमती तसनीम

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : निज सहायक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री सईद उल हसन  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन
3. वर्तमान वेतन :
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम व तहसील चाँदपुर, जिला बिजनौर (उ०प्र०)	-	खाता खतौनी संख्या 00111-2.6180 हे. 00973-0.3610 हे. 00171-0.5820 हे. 00166-0.0890 हे. 01680-0.5060 हे. 00167-0.2150 हे. 01732-1.5470 हे.	कुल लगभग 20.00 लाख रुपये।	हेक्टेयर में बकदरे हिस्सा - “ - - “ - - “ - - “ - - “ - - “ -	पैतृक पैतृक पैतृक पैतृक पैतृक पैतृक पैतृक	-	सभी खातों की छायाप्रतियाँ संलग्न हैं।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : सईद उल हसन  
पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री शोऐब ए. खॉन | 2. वर्तमान धारित पद : विशेष सहायक         |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 61,700/-         | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	कोहेनूर अपार्टमेंट बारामहल भोपाल	-	14,50,000/-	स्वयं के नाम पर	अहमद कमाल पाश, रियाज मंजिल, खानूगांव भोपाल		स्वयं की बचत एवं पिता से प्राप्त किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : शोऐब ए. खॉन

पद : विशेष सहायक



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री शरद मुसलगांवकर | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-दो |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 71,100/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : शरद मुसलगांवकर

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री जितेन्द्र सिंह पाल | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 64,600/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018  |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
इन्दौर	गृह स्कीम नं 94 इंदौर।	-	50 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	बैंक ऋण, जीपीएफ पार्श फायनल एवं स्वयं की बचत से वर्ष 04-05 में निर्मित विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त।	1.70 लाख रुपये वार्षिक प्रथम तल के किराये से आय	-
इंदौर	भवन	-	15,00,000/-	श्रीमती शशिकला पाल माताजी के नाम पर	विभाग से अनुमति प्राप्त कर व्यक्तिगत पीपीएफ खाते की अवधि पूर्ण होने से प्राप्त राशि तथा स्वयं की बचत से वर्ष 2016 में कय किया गया।	-	-
इन्दौर	नरीमन सिटी इंदौर	प्लॉट	3,30000/- रुपये	स्वयं के नाम पर।			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : जितेन्द्र सिंह पाल  
पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री रामचन्द्र माकोड़े  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन
3. वर्तमान वेतन : 57,400/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
अमरावती साउथ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल	गृह एम0आई0जी0 डीलक्स-बी-210 अमरावती साउथ, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी भोपाल	-	वर्तमान मूल्य 80 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर।	जी0पी0एफ0 से पार्ट फायनल, बैंक से ऋण लेकर, वर्ष 2006 में म0प्र0गृह निर्माण मंडल, भोपाल से कय किया गया।	84,000/-	भवन का आधिपत्य 07 जुलाई 2007 को प्राप्त हुआ है। कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।
जिला बैतूल मुलताई ग्राम रायआमला	लगभग 5000 वर्गफीट में आवासीय भवन	16 एकड सिंचित कृषि भूमि	ज्ञात नहीं	पैतृक संपत्ति पिताजी के निधन के बाद स्वयं एवं 2 भाईओं के संयुक्त आधिपत्य में	पैतृक	16.00 लाख	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : रामचन्द्र माकोड़े

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्रीमती मीना जैन  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन
3. वर्तमान वेतन : 59,100/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
पीपल चौराहा करोंद भोपाल	-	भूखण्ड 15X30 450 वर्गफीट करोंद, पीपल चौराहा भोपाल।	13500/-	स्वयं के नाम पर।	स्वयं की बचत से, श्री गंगा प्रसाद शर्मा आत्मज श्री राधेकिशन शर्मा, निवासी करोंद कलां, वार्ड कं0-47 भोपाल से दिनांक 26.04.92 को कय किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया था।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : मीना जैन

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री संदीप कुमार गुप्ता  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन
3. वर्तमान वेतन : 60,900/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
ग्राम नीलबड़, वि०खं०फंदा, तह० हुजूर, जिला भोपाल	-	भूखण्ड कं०-7, 30X50 वर्गफीट नील सागर फेस-2, नीलबड़ भोपाल।	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर।	1996	-	-		
फ्लेट क. सी.2/ 302, ग्रीन एकर्स लालघाटी भोपाल नयापुरा		फ्लेट	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर कार्यालय से अनुमति उपरांत कय दि. 30.6.17	केनरा बैंक से ऋण लेकर कय किया शेष राशि स्वयं की बचत से	1,80,000/-	.		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : संदीप कुमार गुप्ता  
पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सुनील कुमार भूमर | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 55,700/-              | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018  |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : सुनील कुमार भूमर

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती प्रवीणा नागर | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                      | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018  |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : प्रवीणा नागर

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती अमिया तिकी | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक-तीन       |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 37,500/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
पटवारी ह नं 33 राजस्व निरीक्षक मंडल 3 विकासखंड फंदा ग्राम मेंडोरी तह हजुर भोपाल	-	2387.42 वर्गफीट	5.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	-	-
पटवारी हल्का नं 40 राजस्व निरीक्षक मंडल 04 विकासखंड फंदा ग्राम बरखेडी खुर्द मुख्य मार्ग से अंदर तहसील हजुर भोपाल ननि सीमा के अंदर	-	1500 वर्गफीट	6.50 लाख लगभग	स्वयं के नाम	भविष्य निधि खाता, एसबीआई से पर्सनल लोन, लोकायुक्त अधिकारी/कर्मचारी साख समिति द्वारा ऋण लेकर आदि	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : अमिया तिकी  
पद : शीघ्रलेखक-तीन

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री विनोद कुमार नामदेव | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-दो |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 22,820/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जबलपुर	गृह तथा अन्य भवन	भूमि मौजा रामपुर प. ह.नं. 9 तहसील व जिला जबलपुर में प्लॉट 20X40	2,16,150/-	स्वयं के नाम पर	वर्ष 1985 से कमिश्नर ऑफिस गृह निर्माण सहकारी समिति का सदस्य हूं। वर्ष 2015 में समिति से प्लॉट आवंटित हुआ प्लॉट हेतु 30 वर्षों के दौरान 1,57,000/- की राशि विभिन्न किश्तों में जमा की गई रजिस्ट्री दिनांक 2.7.15 को हुई जिसमें 59,150/- व्यय हुआ।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : विनोद कुमार नामदेव

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री राकेश कुमार गुप्ता 2. वर्तमान धारित पद : निज सहायक  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन : 64600/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. पटेल नगर ग्राम हथार्ई खेड़ा भोपाल प्लाट नं 118-ई		भूखण्ड 1800 वर्ग फीट	ज्ञात नहीं	श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नि	गंधर्व लैण्ड एण्ड फायनेंस प्रा. लि. 02.03.2008 महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्यादित भोपाल 30.07.09	-	सभी भूखंड कृषि भूमि विभागीय अनुमति/स्वीकृति से कय की है।
2. ग्राम बाबड़िया कलां भोपाल		भूखण्ड 1000 वर्ग फीट	-	-	मे. जयसन्स बिल्डर्स प्रा. लि. 18.03.11 एल. पी. बिलडर्स एण्ड डेपल्सर्स भोपाल 31.03.2012	-	
3. ग्राम बेटखड़ी बजयपूत नील बड के पास तह. हजुर जिला भोपाल	-	कृषि भूमि 3000 वर्ग फीट	-	स्वयं			
4. ग्राम नीलबड़ भौरी के पास तहसील हजुर जिला भोपाल		भूखण्ड 1500 वर्ग फीट	-	स्वयं एवं पत्नि श्रीमती सुनीता गुप्ता			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : राकेश कुमार गुप्ता

पद : निज सहायक

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री बृजेश कुमार मिश्रा | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 48,100/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
रीवा (म0प्र0)	गृह- एम0आई0जी0-II बी/57, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, चिन्हुला, रीवा।	-	लगभग रूपये 10.00 लाख	स्वयं के नाम	विभाग से ऋण लेकर एवं सा0भ0नि0 खाते से समय-समय पर आहरण कर, म0प्र0गृह निर्माण मण्डल रीवा से 15 वार्षिक किश्तों में मध्यम आय वर्गीय मकान वर्ष 1994 में कय किया गया।	12000/-	-
भोपाल (म.प्र.)	(गृह) एलआईजी-447 जी सेक्टर, अयोध्या नगर भोपाल	-	लगभग रु. 15.00 लाख	स्वयं एवं पत्नि के नाम पर है।	बैंक लोकायुक्त अधिकारी कर्मचारी सहकारी साख समिति एवं जीपीएफ से लोन लेकर अक्टूबर 2010 में कय एवं वर्ष 2010-11 में निर्माण करवाया गया।		-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : बृजेश कुमार मिश्रा  
पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

## \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री महेन्द्र कुमार शर्मा  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक
3. वर्तमान वेतन : 46,700/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
1-जिला सीहोर	एक मकान सुभाष नगर, मंडी, सीहोर।	-	लगभग रु0 4.00 लाख (वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं)	स्वयं के नाम पर।	पैतृक संपत्ति	-	-		
2- ग्राम बिजोरी, तहसील इछवर, जिला सीहोर	-	1.5 एकड़ कृषि भूमि	लगभग रु0 2.00 लाख (वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं)	स्वयं के नाम पर।	पैतृक संपत्ति	लगभग 50,000/-	-		
3-जिला भोपाल	एक फ्लेट 2 बीएचके द्वारकाधाम बायपास रोड बडवई भोपाल	-	22 लाख रुपये वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं	स्वयं/पत्नी के नाम पर	क्रय किया एलआईसी से ऋण एवं जीपीएफ की राशि से अर्जित किया ।				

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : महेन्द्र कुमार शर्मा

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री गणेश प्रसाद सोनी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 46,700/-              | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	मकान नं०-60, नेहरू नगर, भोपाल। (450 वर्गफीट)	-	रुपये 22.00 लाख।	स्वयं के नाम पर	भारतीय स्टेट बैंक सुल्तानिया रोड़ ब्रांच से 2.00 लाख रुपये ऋण लेकर एंव जी०पी०एफ० से पार्ट फायनल आहरित कर वर्ष 2000 में श्रीमती रत्ना सक्सेना से 2.45 लाख में कय किया गया।	-	जीपीएफ राशि एवं भारतीय स्टेट बैंक, सुल्तानिया रोड शाखा से ऋण राशि तीन लाख रुपये लेकर

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : गणेश प्रसाद सोनी  
पद : सहायक ग्रेड-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री प्रमोद उपाध्याय | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 48,100/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-नीलबड़ जिला भोपाल	-	भूखण्ड-कं0 14-ए, 1450 वर्गफीट ग्राम नीलबड़ भोपाल स्थित।	लगभग 10.00 लाख	स्वयं के नाम पर।	वर्ष 2005 में श्री पूरनलाल, कृषक के पॉवर ऑफ अटॉर्नी श्री सुनील श्रीवास्तव, नीलकंठ सोसायटी से कय किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर, लोकायुक्त सहकारी साख समिति से ऋण लेकर कय किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : प्रमोद उपाध्याय  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री दयाशंकर सिंह राजपूत | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 46,700/-                 | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
ग्राम टिटोरा तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.)	-	1.00 एकड़ कृषि भूमि	रु. 8.00,000/-	स्वयं के नाम से।	अपने स्वामित्व की ग्राम अब्दुल्लापुर तहसील व जिला सीहोर स्थित 1.08 एकड़ कृषि भूमि रुपये 25,92,000/- में विक्रय कर श्रीमती अचरी बाई एवं अन्य 04 नि. ग्राम टिटोरा तह व जिला सीहोर से रुपये 11,38,500/- में कय कर दिनांक 04.04.13 को पंजीयन करवाया गया।	-	-		
ग्राम नेवरी, संजीव नगर कॉलोनी नगर निगम वार्ड क्रमांक 69 तहसील हुजूर भोपाल	-	प्लॉट क्र 541 30x50 1500 वर्गफीट	लगभग 45 लाख रुपये।	स्वयं एवं पत्नि के नाम पर	विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त कर दिनांक भोपाल पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल से रु. 2,06,750/- में कय कर, दिनांक 16.10.2012 को पंजीयन करवाया गया है।	-	-		
श्री कृष्णगुरु कांपलेक्स संजीव नगर कॉलोनी	दुकान क्रमांक 54 174 वर्गफीट	-	लगभग रुपये 7.00 लाख	स्वयं के नाम पर	दि पुलिस हाउसिंग सोसायटी संजीव नगर भोपाल से रुपये 6 लाख में स्वयं की उक्त 1.08 एकड़ कृषि भूमि के विक्रय	-	-		

तहसील हुजूर जिला भोपाल					परप्राप्त राशि में से बची शेष राशि से क़य कर दिनांक 12.5.2014 को पंजीयन कराया गया। तथा शेष बची राशि मकान निर्माण में व्यय किय जा रहे हैं।		
---------------------------	--	--	--	--	---	--	--

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : दयाशंकर सिंह राजपूत

पद : सहायक श्रेणी-दो



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री रमेश कुमार शर्मा | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 40,100/-              | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम लाउखेड़ी, उप संभाग बैरागढ़, जिला भोपाल गृह 156, पूजाश्री नगर, सी0टी0ओ0 बैरागढ़ भोपाल।	स्वयं का निवास स्वयं के नाम पर  तदैव	-	वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं।	स्वयं के नाम से।	शासन से गृह निर्माण ऋण, जी0पी0एफ0 से ऋण, बैंक से ऋण एवं स्वयं की बचत से अर्जित किया गया। भूखण्ड 25X40,1000 वर्गफुट, वर्ष 1995 में न्यू वल्लभ गृह निर्माण सहकारी संस्था से शासन अनुमति प्राप्त कर कय किया गया है।	स्वयं के निवास हेतु बनवाया गया हैं।	वर्ष 1995 में भूखण्ड कय कर शासन से अनुमति प्राप्त कर मकान बनाया गया। 1000 वर्गफीट पर। प्रथम नियुक्ति 20.05.86 से 1994 तक संपत्ति - निरंक है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : रमेश कुमार शर्मा  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सुनील खट्टर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 45,300/-         | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जिला भोपाल	मकान नं0-12, अमृत एनक्लेव, अयोध्या बायपास रोड़ भोपाल। -फ्लेट क 106 जूनियर एम.आई.जी. ब्लॉक नं 05 प्रथम तल जीत होम्स ग्राम हताईखेडा तहसील हुजूर जिला भोपाल  (भूमि खसरा क. 14/1/1 एवं 182/14/1 ग्राम हताईखेडा पटवारी हल्का नं 20 तहसील हुजूर जिला भोपाल )	आवासीय प्लाट 1250 वर्ग फीट आईबीडी ग्लौरी भौरी बायपास रोड़ भोपाल में मेरी पत्नि एवं मेरी छोटी बहन मोनिका खट्टर द्वारा संयुक्त बचत राशि से कुल 7,57,000/- लाख में जनवरी 2013 से एक वर्ष की किश्तों पर कय हेतु अनुबंध किया गया है।	लगभग रुपये 55,00,000/-  -  कमांक 3 आवासीय प्लाट रुपये 8,00,000/- लाख लगभग होगी।	पत्नि श्रीमती लता खट्टर के नाम से वर्ष 2001 में कय किया गया। (पत्नि श्रीमती लता खट्टर पुलिस मुख्यालय में शीघ्रलेखक के पद पर पदस्थ हैं)  क 3 में उल्लेखित आवासीय प्लाट मेरी पत्नि छोटी बहन मोनिका खट्टर के नाम से धारित है।	पत्नि द्वारा स्वयं की बचत से (जी0पी0एफ0 से पार्ट फायनल) एंव पंजाब नेशनल बैंक से ऋण प्राप्त कर अमृत होम्स (बिल्डर) से, 2001 में निर्मित भवन रु0 5.40 लाख में कय किया गया। पत्नि के द्वारा भवन कय हेतु अपने कार्यालय से अनुमति प्राप्त की गई थी।  तदैव	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : सुनील खट्टर

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : बेरनादेत्त बेक | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 45,300/-       | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
इण्डस प्रज्ञा परिसर ग्राम खजूरीकलां, भोपाल	भवन	20X45, 900 वर्गफीट	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर।	स्वयं की बचत एंव राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेकर कय किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति लेकर इण्डस प्रज्ञा परिसर खजूरी कलां भोपाल में रुपये 2.95 लाख में कय किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : बेरनादेत्त बेक

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री रमेश कुमार ढोक | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 45,300/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
मंदाकिनी साक्षी रिसोर्ट कॉलोनी, कोलार रोड़, भोपाल मं नं 466	-	600 वर्गफीट पर भूमि	रुपये 20.00 लाख।	स्वयं के नाम पर।	जी0पी0एफ0 से 1.00 लाख एंव बैंक से 2.50 लाख रुपये ऋण लेकर पल्लवी बिल्डर्स, कोलार रोड़ भोपाल से कय किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : रमेश कुमार ढोक

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सिद्धार्थ बन्सोड़ | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 42,200/-               | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	गृह एम0-23, साक्षी रिसोर्ट, मंदाकिनी, सर्वधर्म बी सेक्टर, कोलार रोड़ भोपाल।	-	अनुमानित मूल्य 12,00,000/- रुपये	स्वयं एंव पत्नि के संयुक्त नाम से।	जी0पी0एफ0 एंव बैंक ऋण लेकर, सीतारा हाउसिंग सोसायटी, कोलार रोड़ भोपाल से वर्ष 2003 में क़य किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर क़य किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : सिद्धार्थ बन्सोड़  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री गोपाल बाथम | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 39800/-         | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	प्लाट	प्लाट	अनुमानित 3,00,000/-	स्वयं के नाम पर	भूखण्ड	-	संगठन के पत्र दिनांक 22.11.13 द्वारा अनुमति प्राप्त कर तथा बैंक से ऋण प्राप्त कर प्लाट कय किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : गोपाल बाथम  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : मो0 मोईनुद्दीन कुरेशी 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 49,500/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : मो0 मोईनुद्दीन कुरेशी

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-एक



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री अशोक कुमार खत्री 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 35,100/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस संभाग, ग्राम जिसमें हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति			
	जिले, तालुका तथा नाम, संपत्ति स्थित	गृह तथा अन्य भवन						भूमि	1.	2.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : अशोक कुमार खत्री

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री प्रमोद कुमार सचान  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो
3. वर्तमान वेतन : 45,300/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-जिला जबलपुर	मकान जे.डी.ए. स्कीम नं0-2-बी, प्लाट नं0-80, नेहरू नगर जबलपुर प्लाट साईज 65X70 पर मकान	-	रुपये 14,00,000/-	श्रीमती शांतिदेवी सचान, माताजी के नाम पर।	-	-	वर्ष 1983 में उक्त प्लाट पिताजी द्वारा रुपये 11,000/- में कय किया गया था, पिता की मृत्यु उपरांत वर्ष 89-90 में उक्त प्लाट पर माताजी द्वारा मकान बनवाया गया।
2- ग्राम चंदनामउ, तहसील प्रखराया, जिला कानपुर (उ0प्र0)	-	कृषि भूमि 4.5 बीघा	5,00,000/- रुपये	स्वयं एवं भाईयों के नाम पर।	पैत्रिक संपत्ति	24,000/-	कृषि भूमि में मेरे व भाईयों के नाम से ही पैत्रिक संपत्ति है

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : प्रमोद कुमार सचान

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र

पद : सहायक श्रेणी-दो

भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री एस0के0त्रिपाठी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 57,325/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1- जिला जबलपुर	मकान प्लॉट 1800 वर्गफीट में निर्मित एरिया 900 वर्गफुट पर। मौजा लक्ष्मीपुर नं.ब. 643, प.ह.25 चेरीताल वार्ड, जबलपुर।	-	45,00,000/- रुपये लगभग	स्वयं के नाम पर।	वर्ष 2002 में जी0पी0एफ0 से पार्ट फायनल एंव स्वयं की बचत से प्लॉट कय कर, वर्ष 2004-05 मकान निर्माण बैंक से ऋण, जीपीएफ से पार्ट फायनल एंव पैत्रिक प्लॉट बेचने से प्राप्त राशि से कराया गया।  वर्ष 2015 मार्च में प्रथम तल पर निर्माण	- 78000/- प्रतिवर्ष	प्लॉट कय करने एंव मकान निर्माण करने की अनुमति कार्यालय से प्राप्त की गई।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : एस0के0त्रिपाठी

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : चन्द्रकला गौरखेड़े | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 46,700/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	डूप्लेक्स कर्मांक 459 अमलतास फर्मस एंड डेवलपर्स 59 11 फ्लोर सांची कांप्लेक्स बोर्ड ऑफिस भोपाल	डूप्लेक्स	-	स्वयं के नाम पर	एल आई सी भोपाल से 15 लाख का ऋण तथा स्वयं की बचत 17000/- प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।	-	निर्माण कार्य चालू है पजेशन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : चन्द्रकला गौरखेड़े  
पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती जयश्री थामस | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 43,500/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जिला इन्दौर	गृह	-	ज्ञात नहीं।	स्वयं के नाम पर।	इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर, बैंक से ऋण लेकर, श्री राकेश पिता गयाप्रसाद साहू निवासी 45 वल्लभ नगर इंदौर से खरीदा।	स्वयं के निवास हेतु	विभाग से अनुमति प्राप्त की गई है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : श्रीमती जयश्री थामस  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री मोहन कुमार मिश्रा | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-एक     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 46,700/-               | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
इन्दौर	भवन 77-बी, सिल्वर आवास कालोनी, इंदौर	-	40,00,000/- रुपये	पत्नि के नाम पर। पत्नि शासकीय शिक्षिका के पद पर है।	वर्ष 2006 में श्रीमती मधुबाला उपाध्याय, 19 उमेश नगर इंदौर से मकान, जीपीएफ से लोन लेकर रु0 2,50,000/- में कय किया।	5000/- रुपये प्रतिमाह	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : मोहन कुमार मिश्रा

पद : सहायक श्रेणी-एक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री रत्तीराम ठाकुर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 37,300/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
खेरथाडीह, पो0तरौंद तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)	-	0.02 डि. भूमि	2,30,000/- रुपये	स्वयं के नाम पर।	बैंक से पर्सनल लोन लेकर दिनांक 11.08.2009 को खरीदा गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : रत्तीराम ठाकुर

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री मुन्नालाल सोनी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 43,500/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम कोष्ठा, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा  वर्तमान न नि क्षेत्र 15/1107 इतहरा रीवा म.प्र.	आवासीय भवन 60X69 वर्गफीट पर मकान निर्माण कराया।	-	लगभग 22,25,000/- रुपये	स्वयं के नाम पर।	आराजी खसरा नं 301/2 में से 60X69 वर्गफीट का प्लाट श्री संतकुमार दुबे से वर्ष जनवरी 1995 में कय किया गया। मकान क 1107।	रिहायशी मकान	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर प्लाट कय एवं मकान निर्माण कराया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : मुन्नालाल सोनी

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री कैलाश नारायण ठेंगले | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-प्रथम  |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 46,700/-                 | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
न्यू इंदिरा नगर कुबेर आश्रम ठाठीपुर जिला ग्वालियर	गृह निवास 1250 वर्गफुट	-	25.00/-लाख रुपये अनुमानित	स्वयं के नाम पर।	वर्ष 1996 में स्वयं की बचत तथा जी.पी.एफ की राशि 55,000/- रुपये में 25X50 वर्गफीट भूखण्ड कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कैलाश नारायण ठेंगले

पद : सहायक श्रेणी-प्रथम

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती सविता नामदेव | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                      | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.					
कोलार भोपाल	-	-	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर	मेरे द्वारा राज होम्स यूनिवर्सल प्रा.लि. भोपाल से राय पिक सीटी फेस 2 कोलार रोड स्थित फ्लेट क्रय किया दिनांक 15.2.16 से क्रय मूल्य 15,51000/- बचत 20,000/- एवं 13 लाख का बैंक ऋण बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिय गया	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : सविता नामदेव  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री शंकर लाल सनगत 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 42200/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	- निरंक -	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : शंकर लाल सनगत

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री सी.एस.राजवैद्य 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	मकान अयोध्या नगर, भोपाल।	18X33 वर्गफीट पर,	रुपये 20.00 लाख।	स्वयं एवं पत्नि श्रीमती शशि के नाम।	म0प्र0गृह निर्माण मण्डल से कय किया गया, कार्यालय से अनुमति प्राप्त की गई।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : सी0एस0राजवैद्य

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |   |                     |                                |                 |
|--|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : | श्री शत्रुघ्न वर्मा | 2. वर्तमान धारित पद :          | सहायक श्रेणी-दो |
| 3. वर्तमान वेतन  | : |                     | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : | 01.07.2018      |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : शत्रुघ्न वर्मा

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री देवीसिंह रावत | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                    | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-भौरी जिला भोपाल प्रोफेसर कॉलोनी	म. नं. सी-6 सिंगलेक्स प्रोफेसर कॉलोनी ग्राम भौरी जिला भोपाल	मकान 938 वर्गफीट	लगभग 28.00 लाख रुपये।	स्वयं के नाम पर।	ग्राम नीलबड का एक प्लॉट 1200 वर्गफीट का कय विकय किया 12,50,000/-	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : देवीसिंह रावत  
पद : सहायक श्रेणी-दो

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्रीमती पुष्पा मोटवानी 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-द्वितीय  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
3. वर्तमान वेतन : 14,510/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018'

संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम नीलबड़	मकान	30X40	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर	वर्ष 1998 में सोसायटी लोन एवं बचत से		विवादित

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : पुष्पा मोटवानी  
पद : सहायक श्रेणी-दो



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री इरफान मोहम्मद खॉन 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 38600/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	भवन एफ-159, मीनाल रेसीडेंसी, जे.के.रोड़ भोपाल,	भूखण्ड साईज 600 वर्गफीट पर निर्मित कराया गया।	लगभग रुपये 30.00 लाख।	स्वयं के नाम।	वर्ष 2004 में राज होम्स बिल्डर्स से भूखण्ड रुपये 39,000/- में कय किया जाकर, वर्ष 2004 में बिल्डर से जीपीएफ0, स्वयं की बचत एंव बैंक से ऋण लेकर निर्मित कराया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय एंव निर्माण कराया गया।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : इरफान मोहम्मद खॉन

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री जी. पी. डेहरिया | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 38,200/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम बंजारी सर्वधर्म सी सेक्टर कोलार रोड तहसील हुजूर जिला भोपाल	भूखंड क 104 ए पर 800 वर्ग फीट पर मकान निर्माण 2010 में	-	लगभग 25,00,000 रुपये	स्वयं एवं पत्नि के नाम	बैंक हाउसिंग ऋण तथा स्वयं के वेतन बचत अन्य स्रोत से ऋण लिया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : जी. पी. डेहरिया

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती स्मिता कोल्हे | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 42,020/-              | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-ग्राम-नैनोद, जिला इन्दौर।	-	भूखण्ड कं0-138, 40X60 वर्गफीट, गुलमोहर वेस्ट, नटराज गृह निर्माण सह0 संस्था मर्या0 ग्राम नैनोद, इंदौर।	लगभग रुपये 17,00,000/-	स्वयं के नाम से।	उक्त भूखण्ड कु0 स्मिता जैन, पुत्री श्री निर्मल जैन, निवासी 106, मल्हारगंज, इंदौर से वर्ष 2009 में कय किया गया। जिसके लिए कार्यालय से अनुमति प्राप्त की गई।		स्वयं के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 20.02.2009 से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।
2. जिला भोपाल	डूपलेक्स-9 सांई हिल्स कोलार रोड, अमरनाथ कॉलोनी के पास भोपाल	प्लॉट नं 9 पर निर्मित डूपलेक्स 22X40 1100 वर्गफीट	लगभग रुपये 47.00 लाख रुपये	स्वयं एवं पति दोनो के संयुक्त नाम पर धारित है।	देवेश पाण्डेय आत्मज श्री दामोदर प्रसाद पाण्डे श्रीमती अलका पाण्डेय पत्नि श्री देवेश पाण्डेय एल आई जी 9 हर्षवर्धन नगर भोपाल से कय किया गया।	-	कायालयीन आदेश अनुमति पत्र 2486/स्थापना/2014 भोपाल दिनांक 18.3.14

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : स्मिता कोल्हे

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री अजय गिरड़कर | 2. वर्तमान धारित पद : स्टेनो टायपिस्ट     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 38600/-          | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-खजूरीकलां जिला भोपाल	प्लॉट कं0-65, 1500 वर्गफीट पर, पीयूष नगर, पिपलानी अवधपुरी के पीछे, बी.एच.ई.एल. खजूरीकलां भोपाल	1500 वर्गफीट	वर्तमान में लगभग रुपये 65.00 लाख	स्वयं के नाम पर।	स्वत्वों की राशि से एवं भवन निर्माण, बैंक ऋण लेकर। प्लॉट श्री एस.एस.अरजरिया, निवासी पी-55, ऋषिपुरम फेस-1 भोपाल से दिनांक 21.12.05 को कय कर, स्वयं भवन निर्माण कराया जा रहा है।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : अजय गिरड़कर

पद : स्टेनो टायपिस्ट

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री योगेन्द्र सिंह चंद्रावत | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन   | :                              | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-मूंडला मउ, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़	-	2 हेक्टेयर	लगभग 6.00 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर।	पैतृक । (अविभाजित हिन्दू परिवार की संपत्ति)	कृषि आय लगभग 35,000/-रुपये	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : योगेन्द्र सिंह चंद्रावत

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री मनोज कुमार शर्मा | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन   | :                       | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	म0नं0 23, अवंतिका एवेन्यू खजूरीकलां भोपाल 28X50 वर्गफीट पर निर्मित मकान।	28X50 वर्गफीट	लगभग 27,00,000/- लाख रुपये	वर्ष 2009 से स्वयं के नाम पर।	पिताजी स्व0 एस.पी.शर्मा की सेवानिवृत्ति उपरांत प्राप्त राशि से एस.आर.कन्स्ट्रक्शन कंपनी से संयुक्त नाम से (आवेदक एवं उसके छोटे भाई) वर्ष 2005 में बैंक ऋण से मकान रुपये 6,05,000/- में कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : मनोज कुमार शर्मा  
पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : सुश्री कविता पोखवाल | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 37,180/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम ढाबली तह. सांवेर जिला इंदौर	भवन	प्लॉट 750 वर्गफीट पर	लगभग 15.00 लाख रुपये	स्वयं के नाम से	ऋण द्वारा कय किया गया, स्टैट बैंक ऑफ इंडिया से आवास ऋण एवं स्वयं की बचत से प्राप्त किया  ज्ञानशीला डेवलेपर्स लि. 6 ज्ञान पार्क, टेलीफोन नगर इंदौर से पजेशन प्राप्त किया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कविता पोखवाल

पद : आशुलिपिक



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री राकेश कुमार चौधरी | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक           |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 36,400/-               | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम तहसील हुजूर जिला रीवा	मकान जनता क्वार्टर, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कालोनी पड़रा, रीवा।	-	12.00 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर।	कय भाड़ा स्कीम के अंतर्गत म.प्र.हाउसिंग बोर्ड से कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : राकेश कुमार चौधरी

पद : शीघ्रलेखक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                |   |
|--|----------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : रामलला मिश्र | 2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी 3  |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 41,000/-     | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-ग्राम राजाधौ तहसील हनुमना जिला रीवा	गृह- पैतृक कच्चा मकान	6.50	ज्ञात नहीं	श्री रामसुरेश मिश्र ½ श्री अमृतलाल मिश्र वगैरह पिता-पुत्र के नाम।	पैतृक	70,000/-	-
2- ---	-	29 डिस.	ज्ञात नहीं	स्वयं एवं दो चचेरे भाई के नाम से।	29 हजार रुपये में खरीदा गया।	3000/-	-
3-ग्राम बदरांव, तहसील हुजूर जिला रीवा	-	50X65 = 3250 वर्गफीट	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर।	श्री कालिका प्रसाद पटेल, निवासी चिरहुला रीवा से वर्ष 8/2001 में 78 हजार रुपये में स्वयं की बचत एवं यूनियन बैंक रीवा से ऋण प्राप्त कर कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : रामलला मिश्र

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी 3

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सुनील कुमार गुप्ता | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 10,500/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : सुनील कुमार गुप्ता

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती अनुपमा खुले | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 37,500/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्वालियर।	एक भवन, बाई साहब की परेड, पाटनकर का बाड़ा, लक्ष्मीगंज, ग्वालियर।	-	लगभग 12.00 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर।	वर्ष 2001 में जेठ से प्लाट कय किया तथा एल0आई0सी0 से ऋण लेकर प्लाट पर भवन निर्माण कराया गया।	भवन स्वयं निवास हेतु	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : श्रीमती अनुपमा खुले

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती मनीषा गुप्ता | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 35,100/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : मनीषा गुप्ता

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती बबीता सिंह | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                    | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	निरंक	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : बबीता सिंह

पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री विजय कुमार उइके | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                      | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम चंदाखड़ तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद म.प्र. खसरा नं 26/6 प हं नं. 85	-	2.023 हेक्टेयर कृषि भूमि	11.00 लाख	स्वयं	विरासत में दिनांक 19.12.89 पिता श्री राम उइके द्वारा प्राप्त हुई।	लगभग 65,000/-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : विजय कुमार उइके

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : आशुलिपिक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : मोहम्मद शाहिद खॉन | 2. वर्तमान धारित पद : आशुलिपिक            |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 23,300/-          | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-
				निरंक			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : बबीता त्रिगाम

पद : आशुलिपिक



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री आलोक पाठक | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 35,100/-       | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : आलोक पाठक

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री अतुल हेडाउ | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 40,730/-        | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
कोलार भोपाल	फ्लेट नं ईएम-17/101	-	12 लाख	स्वयं के नाम पर है	आईबीडी प्रा. लि. हॉलमार्क सिटी एवं बैंक ऋण लेकर किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : अतुल हेडाउ  
पद : सहायक श्रेणी-दो

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री जब्बार खॉन | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 15120/-         | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : जब्बार खॉन

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री झब्बू चढोकर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 38600/-          | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-खजूरी कलां, बरखेड़ा पठानी, तह0 हुजूर, जिला भोपाल।	प्लाट कं0-42, उषा प्रभा गृह निर्माण सह0समिति, बी.डी.ए. रोड़, 25X40, 1000 वर्गफीट पर निर्मित भवन	-	लगभग 40.00 लाख रुपये।	स्वयं एवं पत्नि के नाम पर।	उषा प्रभा गृह निर्माण समिति से प्लाट कय कर भवन निर्मित किया गया।	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।
ग्राम बरखेड़ा पठानी तहसील हुजूर भोपाल	भूखंड क. 94 संयुक्त विहार ग्रह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल 22X40 880 वर्गफीट	-	लगभग 25.00 लाख रुपये।	स्वयं के नाम पर	भूखंड कय कर निर्माण किया जा रहा है।	-	कार्यालय दिनांक 7.9.17 से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : झब्बू चढोकर  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सुनील कुमार बेरा | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                       | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-चूनाभट्टी, भोपाल।	मकान नं0-222, ग्राम-चूनाभट्टी, कोलार रोड़, भोपाल।	-	-	स्वयं के नाम पर।	वर्ष 1994 में श्री सीताराम पटेल, निवासी चूनाभट्टी से कय किया गया, जिसे स्वयं की बचत से एंव विभागीय भविष्य निधि से अग्रिम लेकर कय किया गया। कीमत 35000/- मात्र	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : सुनील कुमार बेरा  
पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री राजेन्द्र गोंडाने 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-पलासी करोंद, जिला भोपाल।	-	प्लाट 30X50, कुल 1500 वर्गफीट।	ज्ञात नहीं	स्वयं एवं पत्नि के नाम पर।	सहकारी साख समिति एवं पत्नि की बचत पिता द्वारा प्रदत्त राशि संयुक्त 1,62,000/-	-	कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया। (कानूनी विवाद के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई है)
2-पलासी करोंद, जिला भोपाल	भवन-दो मंजिला, 1000 वर्गफीट पर निर्मित, कं0-बी-17, विशाल स्टेट, पलासी, करोंद भोपाल।	25x40, कुल 1000 वर्गफीट।	ज्ञात नहीं।	स्वयं एवं पत्नि के नाम पर।	सहकारी साख समिति से ऋण लेकर, जी0पी0एफ0 से पार्ट फायनल लेकर एवं बैंक से ऋण लेकर 7,50000 में कय किया गया।	-	कार्यालय की अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।
3- ऐरोसिटी फेस 1	बीडीए भोपाल की योजनांतर्गत बुकिंग उपरांत आवंटित	600 वर्ग फुट प्लाट	ज्ञात नहीं	स्वयं एवं पत्नी	1,66000/- पत्नी के जीपीएफ 1,50000/- पत्नी की बचत एवं 7,50000/- एसबीआई बैंक लोन से लिया गया।		बीडीए से प्लाट बुकिंग रजिस्ट्री होना शेष है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

नाम : राजेन्द्र गोंडाने  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री श्रीराम बड़े | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 12280/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : श्रीराम बड़े

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री रामकिशन विश्वकर्मा 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन : 32,100/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भानपुर, तह0 हुजूर जिला भोपाल	भवन	-	लगभग रुपये 10.00 लाख।	स्वयं के नाम।	दिनांक 02.03.2006 को कय किया गया।	-	स्वयं की अर्जित आय, बैंक से ऋण एवं जी0पी0एफ0 से पार्ट फायनल से राशि प्राप्त कर बनाया गया है।
	प्लाट	-	लगभग रुपये 2.50 लाख।	पत्नि के नाम।	दिनांक 18.01.10 को श्री फिरोज अली, पुत्र श्री युसूफ अली निवासी आईस फैक्ट्री के पीछे, रेल्वे स्टेशन के पास, भोपाल से कय किया गया।	-	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : रामकिशन विश्वकर्मा  
पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्रीमती प्रभा रायकवार 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन : 38,600/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम-नीलबड़, तह0 हुजूर जिला भोपाल	गृह कुल 828 वर्ग फीट	प्लाट	लगभग रुपये 8.00 लाख।	स्वयं के नाम।	दिनांक 19.03.2010 को श्री जी0पी0विश्वकर्मा से रुपये 6,00,000/- में क्रय किया गया।	-	स्वयं एवं पति बचत, जी0पी0एफ0, सहकारी साख्र समिति से ऋण लेकर एवं पति द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त कर क्रय किया गया है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : प्रभा रायकवार  
पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री विजय गोपाल पाण्डे 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 41,000/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
बाग मुगालिया भोपाल	-	भूखण्ड 1500 वर्गफीट, बागमुगालिया, भोपाल।	ज्ञात नहीं	श्रीमती सुनीता पाण्डे, पत्नि के नाम।	आवेदक के गृह जिला रीवा में स्थित पिताजी के नाम कृषि भूमि थी, विक्रय कर बंटवारे में प्राप्त आवेदक के अंश की राशि में से रुपये 5 लाख में वर्ष 2007 में भूखण्ड भोजपाल गृ0नि0सह0समिति भोपाल से क्रय किया गया।	-	-		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : विजय गोपाल पाण्डे

पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री तुलाराम मुड़िया | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-2      |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 38,600/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर।	-	आवासीय भूखण्ड साईज 15X60 कुल 900 वर्गफुट	रुपये 50,000/- लगभग	स्वयं के नाम पर।	पिताजी द्वारा आवेदक के नाम से कय किया गया।	-	-
	मकान 25X50 कुल 1250 वर्गफुट	-	6,75,000/- रुपये लगभग	पत्नी के नाम पर।	पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनके नाम से बैंक में जमा आर0डी0 से प्राप्त राशि एवं वर्ष 2006 में स्टेट बैंक से ऋण एवं वेतन तथा अल्प बचत योजनाओं से प्राप्त राशि द्वारा मकान निर्माण कराया गया।	-	-
	कृषि भूमि 1.470 हैक्टेयर पैतृक	-	-	स्वयं के नाम पर	पिताजी के निधन के बाद दोनो भाई के नाम	50,000/-	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : तुलाराम मुड़िया

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक

पद : सहायक ग्रेड-2

सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री राकेश राठौर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                  | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	निरंक	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : राकेश राठौर  
पद : सहायक ग्रेड-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सुरेश कुमार कोष्ठी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 41,000/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
नव निवेश कॉलोनी गंगानगर पुरवा गढ़ा जिला जबलपुर	-	आवासीय प्लॉट 22X40 वर्गफुट नव निवेश कालोनी, पुरवा गढ़ा, गंगानगर गढ़ा, जिला जबलपुर।	रुपये 9,00,000/- लगभग	पत्नि श्रीमती सोमवती कोष्ठी के नाम पर	माह अगस्त 2009 में खरीद द्वारा।	-	-
कोष्ठी मोहल्ला, शंकर वाई, जिला नरसिंहपुर	पुराना भवन	-	5,00,000/- रुपये	स्वयं	पैतृक भवन नामांतरण पर माह दिसम्बर 2011		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : सुरेश कुमार कोष्ठी  
पद : सहायक ग्रेड-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री अजय कुमार चौकसे | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 35,100/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
सागर	मकान नं 4/6 सदर बाजार सागर	-	40,00,000/- लाख रुपये	पेटूक मकान है, बंटवारा नहीं हुआ है।	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : अजय कुमार चौकसे

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री परमानंद चौधरी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 32,200/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
मुहाल शंकरगढ़ पोस्ट मकरोनिया तहसील व जिला सागर	मकान	-	अनुमानित 50 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : परमानंद चौधरी

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक ग्रेड-तीन



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री देवेन्द्र कुमार अखण्ड | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 37329/-                    | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
इन्दौर	मकान 380/5 जे, नेहरू नगर इंदौर	-	10,00,000/- रुपये	श्रीमती रामनाथी बाई अखण्ड के नाम।	विरासत	-	-
	216, डॉ0 अम्बेडकर नगर, इन्दौर।	-	10,00,000/- रुपये	- “ -			-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : देवेन्द्र कुमार अखण्ड

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 34,100/-                 | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम रोट पो.आ. रामनी जिला सीवा	-	0.92 डिसमिल	10,00,000/-	स्वयं के नाम	विरासत में पैतृक भूमि प्राप्त	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : जगन्नाथ प्रसाद यादव

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री पद्मनाभ कुशवाहा | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 30,400/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम पिपरी, तहसील सिरमौर, जिला सीवा।	मकान	2.50 एकड	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम से	विरासत में 1/4 हिस्सा प्राप्त	1,00,000/- मात्र	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : पद्मनाथ कुशवाहा  
पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री मुन्नालाल कोल | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 27000/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम चटेह पोस्ट अन्दवा थाना पनवार तहसील जवा जिला रीवा म.प्र.	पेटुक संपत्ति	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : मुन्नालाल कोल  
पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सीताराम भगत | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 32,100/-         | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम गीधा पी.ओ. सोनव्यासी तहसील जशपुरनगर जिला जशपुर नगर (छत्तीसगढ़)	पैत्रक मकान	पैत्रक	-	पिता, पुत्र के नाम।	पैत्रक संपत्ति	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : सीताराम भगत  
पद : सहायक श्रेणी-दो

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्रीमती किरण शर्मा  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो
3. वर्तमान वेतन : 37,500/-
4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जिला ग्वालियर।	फ्लैट, 96, नेहरू कॉलोनी यमुनोत्री अपार्टमेंट सैंकण्ड फ्लोर 'के' थाटीपुर, ग्वालियर।	-	रुपये 12.00 लाख।	पति श्री संजीव शर्मा के नाम।	वर्ष 2002 में श्री सुबोध अवस्थी से, आई.सी.आई.सी.आई से ऋण लेकर कय किया गया।	-	-
	-	प्लॉट घोसीपुरा, केन्टेमेंट एरिया मुरार।	लगभग रुपये 8.00 लाख।	स्वयं के नाम पर।	वर्ष 2009 में स्व0 श्रीमती कमलेश रानी शर्मा (सास) द्वारा दी गई राशि से श्री अतुल बाथम से कय किया गया।	-	-
	मॉडल टॉउन ग्राम सिरोल ग्वालियर	इयूपलेक्स	38.00 लाख रुपये	पति पत्नि दोनो के नाम से	वर्ष 2014 एल.आई.सी. जीवन प्रकाश सिटी सेन्टर ग्वालियर से ऋण लिया एवं श्री लज्जाराम से कय किया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : किरण शर्मा

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्रीमती मीना कुठार | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी-दो     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 35,100/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	निरंक	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : मीना कुठार

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-दो

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री कमलेश कुमार सोनी 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन : /- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जिला बैतूल तहसील मुलताई	मकान 1000 वर्गफीट सेठानी के बंगले के पीछे कॉलेज रोड बैतूलगंज	1000 वर्ग फीट	अनुमानित 10.00 लाख रुपये	स्वयं	पिताजी स्व. श्री डी. एल. सोनी नामांतरण पश्चात्	-	भूमि नामांतरण होना शेष है, बंटवारा नहीं हुआ है। प्रक्रिया जारी है।
तहसील जिला मुलताई	खेतीहर भूमि	-	25 लाख रुपये	श्री डी. एल. सोनी के नाम दर्ज है, अभि बंटवारा होना शेष प्रक्रिया जारी है।	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कमलेश कुमार सोनी

पद : सहायक श्रेणी-तीन



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री बी. एल. सवासिया | 2. वर्तमान धारित पद : वरिष्ठ सहायक (प्र. नि. सहा. तीन) |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 14,680/-             | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018              |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
मंडी नाका श्यामपुर रोड जिला सीहोर	गृह 1890 वर्ग फीट डबल स्टोरी	-	20 लाख लगभग	स्वयं के नाम	सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त उपरांत 46000/- में कय	-	-
मंडी थाने के पीछे सीहोर	1500 वर्ग फीट का रहवासी प्लॉट	-	09 लाख लगभग	पत्नि के नाम पर	सैनिक सेवा के दौरान 6000/- में कय		
ग्राम आगखेडी तह कालापिपल जिला शजापुर	-	10 बीघा	40 लाख करीब	स्वयं के नाम से	पैतृक संपत्ति	गेहूं चने की जितनी पैदावार होती है, सभी मेरी माताजी को समर्पित की जाती है।	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : बी. एल. सवासिया

पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री रमेश कुमार डिंडोत 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन : 23,065/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम नगर व जिला विदिशा	गृह	-	8.00 लाख लगभग	श्रीमती ज्योतिबाला पत्नि के नाम पर	विरासत में प्राप्त भूमि पर निर्माण वर्ष 1990 में।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : रमेश कुमार डिंडोत

पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : कु. संध्या बबेरिया | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 19,500/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कु. संध्या बबेरिया  
पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री अभिनव श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन : 18,830/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1.	2.
पिपरिया ग्राम आजेरा जिला होशंगाबाद	कृषि भूमि	7 एकड़	कलेक्टर दर से	पैतृक स्वयं के नाम पर	विरासत में प्राप्त हुई	लगभग रुपये 4.00 लाख	-		
जिला विदिशा ग्राम रोड	कृषि भूमि	10 एकड़	कलेक्टर दर से	पैतृक स्वयं के नाम पर	विरासत में प्राप्त हुई	लगभग 3 लाख रुपये			
भोपाल	प्लॉट नं 27 आशीर्वाद कॉलोनी कोलार रोड भोपाल	1500 वर्ग फीट	कलेक्टर दर से	पैतृक स्वयं के नाम पर	विरासत में प्राप्त हुई	-	-		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : अभिनव श्रीवास्तव

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री कुणाल पुरोहित | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 18830/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कुणाल पुरोहित  
पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री हीरालाल पटेल | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन     |
| 3. वर्तमान वेतन   | :                   | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : हीरालाल पटेल  
पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्री शंभू सिंह चुण्डावत 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन  
तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन : 27000/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल झुग्गी 47/5 भीम नगर	गृह झुग्गी 47/5	-	-	स्वयं के नाम पर	पट्टा	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : शंभू सिंह चुण्डावत

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी-तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री मनोज कोरकू | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 23300/-         | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : मनोज कोरकू

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : सहायक तीन



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 21900/-                   | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम परसाई तहसील रहली जिला सागर	गृह तथा अन्य भवन	भूमि 05 एकड कृषि भूमि	15 लाख	स्वयं के नाम पर	पैतृक	70,000/-	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : विजेन्द्र सिंह ठाकुर

पद : सहायक श्रेणी तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री कृष्ण कुमार पटेल | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 27800/-               | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम महुगढ़ा पीठ आक्सि कहावहेरिया जिला रीवा	मकान	12 एकड़	लगभग 18 लाख		पैतृक तीन भाइयों के साथ सम्मिलित है।	10 हजार	पिताजी के मृत्यु उपरांत मेरे एवं दो भाइयों के नाम से है।

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : कृष्ण कुमार पटेल

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक श्रेणी तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री कमलेश लोवंशी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 9370/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
टीला जमालपुरा भोपाल मोती क्वार्टर 22	भवन 12X 30	-	लगभग 12 लाख रुपये	पैतृक संपत्ति।	विरासत में	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कमलेश लोवंशी

पद : सहायक तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री रमेश डावर | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 22600/-        | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : रमेश डावर

पद : सहायक श्रेणी तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |  |
|--|----------------------|---|--|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री जयप्रकाश सिंह | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |  |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 23,300/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |  |

उस संभाग, ग्राम जिसमें हो,	जिले, तालुका का नाम, संपत्ति स्थित	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
-	-	-	-	-	-	-	-	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : जयप्रकाश सिंह

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

पद : सहायक तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री सेवाराम कोली | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 27,800/-          | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
नदी पार टाल मुरार ग्वालियर	भवन	—	18 लाख	पैतृक	पैतृक संपत्ति	—	—

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरों दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : सेवाराम कोली

पद : सहायक तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : कु. रीटा मोटवानी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 8350/-           | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कु. रीटा मोटवानी

पद : सहायक तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री पारितोष चव्हाण | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 21,935/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-
				निरंक			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : पारितोष चव्हाण  
पद : सहायक श्रेणी-तीन



## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम<br>तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री रंगनाथ पाण्डे | 2. वर्तमान धारित पद : मोटर साईकिल चालक    |
| 3. वर्तमान वेतन   | : 30400/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.					
-	-	-	-	-	-	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : रंगनाथ पाण्डे

पद : मोटर साईकिल चालक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री कृष्ण प्रसाद पाठक | 2. वर्तमान धारित पद : वाहन चालक           |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 34100/-                | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
बैरागढ भोपाल	बैरागढ भोपाल भूमि	1000 वर्ग फीट	रूपये 6.00 लाख	स्वयं के नाम पर	कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत सामान्य भविष्य निधि एवं लोकायुक्त अधिकारी/कर्मचारी साख संस्था के द्वारा	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : कृष्ण प्रसाद पाठक  
पद : वाहन चालक

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री राजकुमार सिंह चौहान | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक श्रेणी तीन    |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 19,500/-                 | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्वालियर	बैरागढ भोपाल भूमि	800 वर्ग फीट	रुपये 25.00 लाख	पैतृक	माताजी द्वारा कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : राजकुमार सिंह  
पद : सहायक श्रेणी तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री तोलन प्रसाद काछी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन     |
| 3. वर्तमान वेतन  | :                       | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	प्लॉट नीलबड़ भोपाल	600 वर्ग फीट	लगभग रुपये 3.00 लाख	श्रीमती कुसुम काछी पत्नी के नाम पर	स्वयं की बचत, लोकायुक्त अधिकारी/कर्मचारी साख संस्था, विभागीय भविष्य निधि द्वारा आदि ।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : तोलन प्रसाद काछी

पद : सहायक तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | : श्री आशीष त्रिपाठी | 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन     |
| 3. वर्तमान वेतन  | : 19500/-            | 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018 |

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राम मैदनी हल्का नं 25 करहिया तह. हुजूर जिला सीवा म. प्र.	.	1155 वर्ग फीट	लगभग रुपये 4.50 लाख	स्व. श्री राम प्रसाद त्रिपाठी पिता पुत्र	श्री शैलेन्द्र सिंह आत्मज श्री इंद्रजीत सिंह वार्ड नं 5 टैकहा सीवा से दिनांक 26.8.13 को मेरे पिता स्व. राम प्रसाद त्रिपाठी द्वारा कय किया गया।	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दे

हस्ताक्षर : sd/-

नाम : आशीष त्रिपाठी

पद : सहायक तीन

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : श्रीमती अनीता अग्रवाल 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड तीन  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 24000/- 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
देहरी कला कौलार रोड	.	कृषि भूमि	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर	पैतृक	-	-
सनखेडी कोलार रोड	.	कृषि भूमि	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर : sd/-

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नाम : तोलन प्रसाद काछी

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

पद : सहायक तीन

-----0000-----

## फार्म

### \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम : 2. वर्तमान धारित पद :  
 तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन : 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :